



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13794

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 200 सन् 2026

राजेश कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अशोक कुमार उपाध्याय, राहुल श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल श्रीवास्तव और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीया द्वारा निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और ये निर्देश रिट याचिका के निपटारे के लिए पर्याप्त हैं। वे कोई और शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं और याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति प्रारंभ में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विपणन विभाग में हुई थी और उसके बाद उन्हें क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। जुलाई 2022 से याचिकाकर्ता जिला मिर्जापुर में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद पर तैनात थे और उन्हें धान की खरीद, अवैध जमाखोरी की रोकथाम और धान क्रय केंद्रों के विनियमन की संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब याचिकाकर्ता क्षेत्रीय विपणन अधिकारी के पद पर तैनात थे, तब उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आयुक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



द्वारा दिनांक 31.12.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया।

4. इसी बात को लेकर याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है।

5. इस न्यायालय ने 13.01.2026 को रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए:

"रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता सहायक विपणन अधिकारी हैं। उनका निवेदन है कि दिनांक 31.12.2025 का निलंबन आदेश किसी क्षण भी मान्य नहीं हो सकता, विशेषकर तब जब यह शिकायतकर्ता की एक ऑडियो क्लिप पर आधारित है जिसमें खाद्यान्न के संबंध में अवैध रिश्वत की मांग से संबंधित एक लेन-देन का जिक्र है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि एक निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी और 26.12.2025 को पेपर बुक के पृष्ठ 56 पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें अन्य लोगों द्वारा की गई अवैधता को दर्शाया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए उक्त आरोप गढ़े। उनका निवेदन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के प्रावधानों के मद्देनजर, ऑडियो क्लिप को सामान्य दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है।

श्री राहुल मालवीय, स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा है।

इस मामले की सुनवाई 20.01.2026 को नए सिरे से की जाए।"

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चुनौती दिए गए आदेश को इस साधारण कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता है कि यह चंद बाबू और याचिकाकर्ता के बीच कथित बातचीत पर आधारित है। याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी और जहां तक ऑडियो क्लिप का संबंध है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत इसका सत्यापन नहीं किया गया है। निवेदन यह है कि एक निरीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी और 26.12.2025 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखाया गया था। उन्होंने आगे निवेदन किया कि जब तक फॉरेंसिक प्रयोगशाला ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर देती, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत अनिवार्य है, तब तक याचिकाकर्ता को निलंबित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता विभागीय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्यवाही का सामना करने से नहीं हिचकिचाता, लेकिन निलंबन आदेश कुछ ऐसी सूचनाओं के आधार पर पारित किया गया है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने रिट याचिका संख्या 8589/2025 (इंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित शासनादेश का हवाला दिया है, जिसमें ऑडियो क्लिप को प्रामाणिक मानकर उसे निरर्थक दस्तावेज घोषित कर दिया गया था।

7. याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए निवेदन का खंडन करते हुए, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालविया ने कहा कि निलंबन आदेश में उल्लिखित आरोप गंभीर हैं और इनके लिए कड़ी सजा हो सकती है। हालांकि, उनके अनुसार, उनके मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के मुताबिक, ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि/प्रमाणीकरण के लिए अभी तक उसे भेजा नहीं गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 इस मामले को राज्य सरकार को फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए भेजने का इरादा रखता है। उन्होंने निवेदन किया कि स्थानांतरण आदेश को रद्द किया जाए, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जांच की जाए।

8. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बात सुनी और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

9. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को 31.12.2025 को निलंबित किया गया था। यह भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को निलंबित करने का पूरा आधार याचिकाकर्ता और चंद बाबू के बीच हुई बातचीत (एक ऑडियो क्लिप) है, जिसमें अवैध रिश्वत की मांग की जा रही थी। चूंकि प्रत्यर्थीगण का कहना है कि फॉरेंसिक प्रयोगशाला रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है और ऑडियो क्लिप को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए प्रथम दृष्टया न्यायालय निलंबन आदेश को उचित पाता है।

10. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क). प्रत्यर्थी संख्या 2, आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ द्वारा दिनांक 31.12.2025 को पारित निलंबन आदेश रद्द किया जाता है।

(ख). सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के विरुद्ध फॉरेंसिक रिपोर्ट आने की स्थिति में नया निलंबन आदेश पारित करने का अधिकार दिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. प्रत्यर्पण को आरोप पत्र जारी करने का भी अधिकार है, जिसमें याचिकाकर्ता सहभागी होगा और यदि कोई जांच आवश्यक हो, तो उसे तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

13. आज दाखिल किए गए निर्देश परिशिष्ट 'अ' के रूप में अभिलेख में दर्ज किए जाते हैं।

20 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।